**डीपीए-I/230/64/2017**

**विदेश मंत्रालय**

**भारत सरकार**

## भारत सरकार ऋण प्रदायता (एलओसी) के लिए परियोजना तैयार करने की सुविधा (पीपीएफ)

## पृष्ठभूमि

1. भारत सरकार ऋण प्रदायता (एलओसी) को 7 दिसंबर 2015 को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आईडीईएएस दिशानिर्देशों[1] द्वारा नियंत्रित की जाती है। भारत सरकार ने 5 वर्षों (2015-2020) में अफ्रीका में एलओसी के लिए 10 बिलियन यूएस डॉलर देने की प्रतिबद्धता की घोषणा की है और पड़ोसी देशों के साथ ही अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोगी देशों के लिए के लिए पृथक अधिक मूल्य की ऋण प्रदायता प्रतिबद्धता की है |

2. एलओसी प्रक्रिया में पहला कदम पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन / व्यवहार्यता अध्ययन या विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के रूप में अनुरोधकर्ता सरकार द्वारा एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करना है।

3. चूंकि डीपीआर एक विस्तृत और संसाधन-गहन दस्तावेज है, इसलिए आईडीईएएस दिशानिर्देश, एलओसी की मंजूरी मिलने के बाद डीपीआर तैयार करने के लिए एलओसी राशि का 1 प्रतिशत उपयोग करने के लिए स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4. तथापि, एलओसी प्रस्ताव के लिए भारत सरकार के अनुमोदन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, एक उचित परियोजना प्रस्ताव की आवश्यकता होती है | कभी-कभी, अनुरोधकर्ता सरकारों के पास आवश्यकता की पहचान करने, परियोजना की कल्पना करने और एक उचित परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के लिए आवश्यक संसाधन आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं, और इस प्रकार के प्रस्ताव तैयार करने के लिए सहायता की आवश्यकता हो सकती है |

## परियोजना तैयार करने की सुविधा (पीपीएफ)

5. परियोजना तैयार करने की सुविधा अनुरोधकर्ता सरकारों को परियोजना बनाने और डिजाइन करने के प्रारंभिक चरण में त्वरित नि:शुल्क भारतीय परामर्श सहायता प्रदान करने के लिए तदनुसार आरम्भ की जा रही है। पीपीएफ की परिकल्पना एक मांग-उत्तरदायी तंत्र और अनुरोधकर्ता सरकारों की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक त्वरित समाधान सुविधा के रूप में की गई है।

6. इस तरह की अनुदान सहायता की आवश्यकता की परिकल्पना की गई है और इसे आईडीईएएस दिशानिर्देशों के पैरा 14 में दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि *"भारत सरकार परियोजना की पहचान करने, तैयारी और मूल्यांकन के लिए अनुदान राशि प्रदान करने के साथ ही परियोजनाओं के मूल्यांकन और आकलन पर विचार कर सकती है । इसमें पेशेवर व्यक्तियों / संगठनों को परामर्श भुगतान किया जाना शामिल हो सकता है। "*

## पीपीएफ के कार्यान्वयन की रूपरेखा

**7. भौगोलिक विस्तार:** अफ्रीकी देशों के साथ-साथ अन्य भौगोलिक क्षेत्रोंके देशों द्वारा भी पीपीएफ प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया जा सकता है।

**8. पात्र देश:** वर्तमान आईडीईएएस दिशानिर्देशों के अनुसार सभी तीन श्रेणियों I, II और III के देश पीपीएफ प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकते हैं।

**9.संचालन:** पीपीएफ को भारतीय निर्यात-आयात बैंक द्वारा स्वीकृत रूपरेखा के अनुसार संचालित किया जा सकता है।

**10. पीपीएफ के तहत कार्य करने हेतु परामर्शदात्री फर्मों की पात्रता:** पीपीएफ के तहत कार्य करने के लिए परामर्शदात्री फर्मों का चयन डीपीआर तैयार करने / पीएमसी के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक द्वारा तैयार की गई परामर्शदात्री कंपनियों की सूची से किया जाएगा। यह ध्यान देने योग्य बात है कि भारतीय निर्यात-आयात बैंक द्वारा इस तरह का सूचीकरण एक सतत प्रक्रिया है।

1 https://www.eximbankindia.in/assets/pdf/loc/GOI-Guidelines-on-LOC.pdf पर ऑनलाइन उपलब्ध है |

## 11. प्रक्रिया प्रवाह

(i) अनुरोधकर्ता देश को पीपीएफ प्राप्त करने के लिए अनुलग्नक क में दिए गए प्रपत्र के अनुसार निवेदन करना होगा ।

(ii) संबंधित भारतीय मिशन द्वारा अपनी सिफारिश और मूल्यांकन के साथ विदेश मंत्रालय को अपना निवेदन भेजना |

(iii) विदेश मंत्रालय द्वारा निवेदन की जांच और उपयुक्त पाए जाने पर, विदेश मंत्रालय के डीपीए -1 प्रभाग द्वारा भारतीय निर्यात-आयात बैंक से पीपीएफ के तहत विचार हेतु सिफारिश की जाएगी ।

(iv) परामर्शदात्री फर्मों का चयन भारतीय निर्यात-आयात बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (एसीबीएस) आधार पर किया जाएगा | भारतीय निर्यात-आयात बैंक संबंधित क्षेत्र में भारतीय निर्यात-आयात बैंक द्वारा सूचीबद्ध कंपनियों से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करेगा और कार्मिक, अनुभव, कार्यप्रणाली, कार्य योजना आदि की गुणवत्ता सहित उनका तकनीकी मानकों पर मूल्यांकन करेगा । अनुमानित समय जिसमें कार्य पूरा किया जाना है, का उल्लेख रूचि की अभिव्यक्ति सूचना में किया जाएगा। आवेदकों से विस्तृत विवरण सहित कार्य के लिए अपनी समेकित लागत बोली प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। अंतिम चयन 80:20 क्यूसीबीएस प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। क्यूसीबीएस प्रक्रिया के मानदंड अनुलग्नक-ख में दिए गए हैं।

(v) एक्ज़िम बैंक प्रस्तावित टीओआर सहित चयनित परामर्शदात्री फर्म का विवरण और समयसीमा की सूचना विदेश मंत्रालय को देगा। विदेश मंत्रालय की मंजूरी मिलने पर, भारतीय निर्यात-आयात बैंक चयनित परामर्शदात्री फर्म को कार्य सौंपेगा, जो तत्काल आधार पर अनुरोधित कार्य आरम्भ करेगी और निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

(vi) जैसे ही परामर्शदात्री फर्म अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, विदेश मंत्रालय उसकी जांच करेगा और इसके पश्चात आईडीईएएस दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना प्रस्ताव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी ।

**12. बिलों का निपटान:** भारतीय निर्यात-आयात बैंक तिमाही आधार पर विदेश मंत्रालय द्वारा पीपीएफ गतिविधियों के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की मांग करेगा। उपयुक्त बजट शीर्ष के तहत अनुदान सहायता के रूप में विदेश मंत्रालय द्वारा भुगतान किया जाएगा ।

**13. कार्यों की प्रकृति:** पीपीएफ निम्नलिखित कार्यों में सहायता करेगी:

- परियोजना की पहचान
- परियोजना तैयार करना
- पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन
- पुरानी पूर्व-व्यवहार्यता / व्यवहार्यता रिपोर्टों का संशोधन या पुन: सत्यापन
- भौगोलिक या तकनीकी परिवर्तनों के मामले में परियोजना मानदंडों और लागतों में संशोधन।
- कोई अन्य प्रासंगिक गतिविधि [निर्दिष्ट करें]

14. **समीक्षा:** परिचालन प्रतिक्रिया के आधार पर प्रक्रिया को अधिक अनुकूल बनाने के लिए उपरोक्त रूपरेखाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी ।

**अनुलग्नक-क**

## भारत सरकार की परियोजना तैयार करने की सुविधा (पीपीएफ) प्राप्त करने हेतु निवेदन

1. **प्रस्तावित परियोजना:**

2. **परियोजना की प्रकृति:**
   [नई परियोजना या मौजूदा परियोजना के लिए पुनर्वास/विस्तार/भौगोलिक या तकनीकी परिवर्तन]

3. **पीपीएफ के तहत की जाने वाली गतिविधि का प्रकार:**
   [परियोजना की पहचान/परियोजना तैयार करना/पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन/संशोधन या पुरानी पूर्व-व्यवहार्यता/व्यवहार्यता रिपोर्ट/ भौगोलिक या तकनीकी परिवर्तन के मामले में परियोजना मानदंड और लागत का संशोधन या पुन:सत्यापन/ अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)]

4. **स्थान:**

5. **परियोजना का उद्देश्य:**

6. **परियोजना विवरण:**
   [पृष्ठभूमि, घटकों, चरणों, यदि कोई है,में उपलब्ध सूचना,आकार, लाभार्थियों की अनुमानित संख्या, भूमि और आधारभूत संरचना की उपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता, अनुमनित लागत आदि | आवश्यक होने पर अलग पत्र संलग्न करें]

7. **परियोजना से संबंधित आंकड़े :**
   [कोई भी प्रासंगिक आंकड़े, रिपोर्ट, सर्वेक्षण आदि जो पीपीएफ के तहत किए जाए वाले कार्य हेतु उपलब्ध कराए जा सकते हैं]

8. **परियोजना और पीपीएफ हेतु नोडल सरकारी एजेंसी:**

9. **नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, संपर्क विवरण और तिथि सहित हस्ताक्षर:**

* *अनुरोधकर्ता सरकार द्वारा भरे जाने हेतु*

**अनुलग्नक - ख**

क. **बोलीदाता का तकनीकी मूल्यांकन निम्नलिखित मदों से संबंधित अंकों वाले मापदंडों पर आधारित होगा:**

| **क्र.सं.** | **पात्रता मानदंड** | **अंक** | **अंकों का उप-विभाजन** |
|---|---|---|---|
| 1. | आवेदक फर्म का कुल अनुभव | 20 | आवेदक फर्म द्वारा भारत में पिछले 7 वर्षों में किये गए समान प्रकृति के कार्यों की संख्या के लिए निम्न प्रकार से अंक दिए जाएंगे:<br>> 4 = 100%<br>3 से 4 = 80%<br>1 से 2 = 50% |
| 2. | कार्य की सीमा के संदर्भ में प्रस्तावित कार्यप्रणाली और कार्य योजना | 30 | मूल्यांकन कार्य की शर्तों की समझ और परिणामों के प्रदर्शन, प्रस्तुतीकरण की गुणवत्ता और कार्य करने की प्रस्तावित विधि पर आधारित होगा। |
| 3. | प्रमुख कार्मिक-दल नेता का कुल अनुभव | 50 | (i) अधिकतम अंक के 20% अंक दल नेता की शैक्षणिक और पेशेवर योग्यता के लिए दिए जाएंगे \|<br><br>(ii) अधिकतम अंक के 40% अंक दल नेता के समान क्षेत्र में कुल संचयी कार्य अनुभव के लिए निम्न प्रकार से अंक दिए जाएंगे:<br>≥ 15 वर्ष = 100 %<br>10 से 14 = 75%<br>5 से 9 वर्ष = 50%<br>≤4 = 25%<br><br>(iii) अधिकतम अंक के 30% अंक परियोजनाओं की संख्या/ पिछले 7 वर्षों के |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | दौरान दल नेता के रूप में समान प्रकृति के अध्ययन के लिए निम्न प्रकार से दिए जाएंगे<br>≥ 10 = 100 %<br>7 से 9 = 75%<br>4 से 6 = 50%<br>≤3 = 25 %<br>(iv) अधिकतम अंक के 10% अंक आवेदक द्वारा पिछले 7 वर्षों के दौरान विशेषज्ञ/दल नेता द्वारा समान प्रकृति का कम से कम 01 विदेशी कार्य करने के लिए दिए जाएंगे \| |

ख. सभी वित्तीय बोलियों को 1-100 के पैमाने पर वर्गीकृत किया जाएगा, जिसमें निम्नतम वित्तीय बोलीदाता को सर्वाधिक अंक दिए जाएंगे। वित्तीय बोलियों के अंकों की गणना आनुपातिक रूप से की जाएगी जैसा कि निम्नलिखित उदाहरण में स्पष्ट किया गया है। उदाहरण: यदि x,y और z धनराशियों की तीन बोलियाँ प्राप्त हुई हैं, और x न्यूनतम बोली है, तो x को 100 अंक दिए जाएंगे। अन्य बोलीदाताओं को दिए गए अंक इस प्रकार होंगे: y के अंक = 100 x/y और z के अंक = 100 x/z |

ग. कुल स्कोर तकनीकी और वित्तीय स्कोर जोड़कर प्राप्त किया जाएगा। इस प्रकार, तकनीकी और वित्तीय बोलियों को क्रमशः 80:20 अंक मिलेंगे,

सूत्र इस प्रकार होगा:

कुल स्कोर = तकनीकी स्कोर x 0.8 + वित्तीय स्कोर x 0.2

घ. उच्चतम कुल अंक प्राप्त करने वाला बोलीदाता सफल बोलीदाता होगा।

ङ. यदि दो बोलीदाता अंतिम मूल्यांकन के बाद समान अंक अर्जित करते हैं, तो कम राशि की पेशकश करने वाले बोलीदाता को सफल घोषित किया जाएगा |